
Please see page no 694 (2) for Act No 10 of 2019

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 अगस्त 2019–श्रावण 23, शक 1941

क्रमांक 347]

विधि और विधायी कार्य विमाग

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2019

क्र. 13682–225–इक्कीस–अ(प्रा.)–अधि.– मध्यप्रदेश विधान समा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13 अगस्त, 2019 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतदद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ११ सन् २०१६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१६

[दिनांक १३ अगस्त, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक १४ अगस्त, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :--

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, संक्षेप्त नम २०१६ है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2019

694

अनुसूची का २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, संशेषन. अनुक्रमांक ३३ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं अर्थात् :–

अनुक्रमांक	निजी	प्रायोजी निकाय	प्रायोजी निकाय	मुख्य परिसर	अधिकारिता
	विश्वविद्यालय	का नाम	की स्थापना की		
	का नाम		पद्धति		
(१)	(२)	(३)	(%)	(૬)	(६)
"३४	संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल विश्वविद्यालय,	श्री अग्रवाल एजुकेशनल पब्लिक	मध्यप्रदेश पब्लिक, ट्रस्ट अधिनियम, १६५१ (क्रमांक ३० सन् १६५१)	संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.
	विश्वविद्यालय, भोपाल.	ट्रस्ट, २५०, सागर प्लाजा, जोन–२ एम.पी.नगर, भोपाल	(प्रभाव) २० सर्(७८२७) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	९जुव्रश्मास विश्वविद्यालय, कटारा एक्सटेंशन, सहारा बायपास रोग भोपाल.	ड
३ ४	मंगलायतन विश्वविद्यालय, जबलपुर.	सर्वसहारा फाउन्डेशन, एस–१६१⁄सी सेकंड फ्लोर, मानक कॉम्पलेक्स, शकरपुर नई दिल्ली– ६२.	कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) की धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी.	मंगलायतन विश्वविद्यालय, एन.एच–१२ ए, शारदा देवी मंदिर के पास रिछाई, बरेला जबलपुर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३६	आई.ई.एस. विश्वविद्यालय, भोपाल.	इंफोटेक एज्यूकेशन सोसाइटी, आई.ई.एस. कैम्पस कलखेड़ा रातीबड़ मेन रोड, मोपाल.	म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १६७३ (क्रमांक ४४ सन् १६७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	आई.ई.एस. विश्वविद्यालय आई.ई.एस. केम्पस, कलखेड़ा रातीबड़, मेन रोड भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.
રૂછ	सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय, रायसेन.	गुरू हरगोविंद सोसाइटी, १३, लाला लाजपत राय कॉलोनी, रायसेन रोड, भोपाल.	म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय, ग्राम अगारिया चोपड़ा, जिला रायेसन.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.''

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2019

क्र. 13682–225–इक्कीस–अ (प्रा.)–अधि.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव

MADHYA PRADESH ACT

NO. 11 OF 2019

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2019

[Received the assent of the Governor on the 13th August, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 14th August, 2019.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhiniyam, 2019.

2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya(Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007(No. 17 of 2007), after serial number 33 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:-

Amendment of Schedule.

Short title.

S.No.	Name of	Name of	Mode of	Main campus	Jurisdiction
	Private	Sponsoring	forming		
	university	body	Sponsoring		
			body		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"34.	Sanjeev	Shri Agrawal	Public Trust,	Sanjeev	Whole of
21.	Agrawal	Educational	registered under	Agrawal	Madhya
	Global	Public Trust,	the Madhya	Global	Pradesh.
	Educational	250, Sagar Plaza,	Pradesh Public	Educational	
	University,	Zone-2 M.P.	Trust Act, 1951	University,	÷
	Bhopal.	Nagar, Bhopal.	(No. 30 of 1951)	Katara	
	F			Extension,	
				Sahara Bypass	
				Road, Bhopal.	
35.	Mangalayatan	Sarvsahara	Company	Mangalayatan	Whole of
50.	University,	Foundation,	registered under	University,	Madhya
	Jabalpur.	S-191/C 2nd	Section 25 of the	NH-12 A, Near	•
	· uourpur.	Floor, Manak	Companies Act,	Sharda Devi	
		Complex,	1956 (No. 1 of	Mandir Richai,	

694	(2)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Shakarpur, New Delhi-92.	1956).	Barela, Jabalpu	Г.
36.	I.E.S University, Bhopal.	Infotech Education Society I.E.S. Campus, Kalkheda Ratibad Main Road, Bhopal.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973)	I.E.S University, I.E.S. Campus Kalkheda Ratibad Main Road, Bhopal.	Whole of Madhya Pradesh.
37.	Sam Global University, Raisen.	Guru Hargovind Society, 13, Lala Lajpat Rai Colony, Raisen Road, Bhopal.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973)	Sam Global University, Village Agariya Chopda, District Raisen	Whole of Madhya Pradesh.";

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2019

क्र. 13683–224–इक्कीस–अ(प्रा.)–अधि.– मध्यप्रदेश विधान समा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13 अगस्त, 2019 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतदद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् २०१६

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१६

[दिनांक १३ अगस्त, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक १४ अगस्त, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम. भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान—मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक १४ अगस्त २०१९	694 (3)
१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.	संक्षिप्त नाम और प्रारंम.
(२) यह ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.	
२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) की द्वितीय अनुसूची में,—	द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

(एक) भाग एक में, अनुक्रमांक २, ५ और ६ तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :--

<u></u>	अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
	(9)	(२)	(३)	(8)
	" २ . '	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर, मण्डला, कटनी, डिण्डोरी और नरसिंहपुर.
	٤.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	रीवा	रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया एवं सिंगरौली.
	Ę .	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़, हरदा,'';

(दो) भाग दो में, अनुक्रमांक १ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :--

 अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
 (9)	(२)	(३)	(8)
"ર	छिदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और बैतूल''.

३. (१) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक ४ सन् २०१६) एतद्द्वारा निरसित निरसन नथा किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2019

क्र. 13683–224–इक्कीस–अ (प्रा.)–अधि.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्र. 10 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव

MADHYA PRADESH ACT

No. 10 of 2019

THE MADHYA PRADESH VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

[Received the assent of the Governor on the 13th August, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 14th August, 2019.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows :-

Short title and 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) commencement. Adhiniyam, 2019.

(2) It shall come into force from the date of its Publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of 2. In the Second Schedule to the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, Second Schedule. 1973 (No. 22 of 1973),-

(i) In Part I, for Serial numbers 2, 5 and 6 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

S.No.	Name of University (2)	Headquarters (3)	Territorial Jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district) (4)
(1)	(2)	(5)	(.)
"2.	Rani Durgawati Vishwavidyalaya, Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur, Mandla, Katni, Dindori and Narsinghpur.
5.	Awadesh Pratap Singh Vishwavidyalaya, Rewa	Rewa	Rewa, Satna, Sidhi, Shahdol, Anuppur, Umaria and Singroli.
6.	Barkatullah Vishwavidyalaya, Bhopal	Bhopal	Bhopal, Sehore, Raisen, Vidisha, Hoshangabad, Rajgarh and Harda.";

(ii) In Part II, after serial numbers 1 and entries relating thereto,	, the following	g serial number and
entries relating thereto shall be added, namely :-		

S.No.	Name of University	Headquarters	Territorial Jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district)
(1)	(2)	(3)	(4)
"2.	Chhindwara University, Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara, Seoni, Balaghat and Betul".

- 3. (1) The Madhya Pradesh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 2019 Repeal and (No. 4 of 2019) is hereby repealed. Saving.
- (2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019